


आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- १७ / 2019

तारीखरजु:- 16.8.19

उनवान:- रत्तीराम बनाम बिजेन्द्र वगै०

दावा वावत बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
16.8.19	<p>वादी की ओर से श्री देवेन्द्र शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 12.09.2019 को पेश हो।</p>
	<p style="text-align: center;"> उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
12.9.19	<p>वादी वकील उप०/प्रतिवादी नं. 19, 20 की ओर से श्री राम करौली गुप्ता ANV ने श्रीमो पेश किया/प्रतिवादी नं. 1, एवं 21 से 24 के सम्मन वापिस प्राप्त नहीं थे प्रतिवादी नं. 2 का सम्मन अदम लागू प्राप्त हुआ है प्रतिवादी नं. 3 से 18 का पत्र सूचना उपस्थित नहीं है P.O. सा० बाहर पपो है वास्ते डागुम आदेश दिनांक 14-10-19 को पेश हो/उप० वादी वकील ने आर्चना पत्र 06 R.17 c Pe का आर्चना पत्र पेश किया। वकील प्रतिवादी नं 1 तक की प्रति प्राप्त की। आर्चना दिनांक 14-10-19 को पेश हो/उप०</p>
14.10.19	<p>वकूलाय उप०/श्री राम करौली गुप्ता ANV ने प्रतिवादी नं. 19, 20 की ओर से श्री वकालतनामा पेश किया। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत आर्चना पत्र 06 R.17 c Pe पर वकील प्रतिवादी नं अनापत्ति दर्ज कराई। आर्चना पत्र लकीमा किसे जोने का कथन किया। वादी रत्तीराम रामसिंह के पिता का नाम करेला दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी नं. 3 से 18 के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी नं. 1, 2 21 ता. 24 के पुनः सम्मन तलवाना पेश करने का कथन किया। वास्ते तलबी व जबाब पेश करने 18-11-19 को पेश हो।</p>

4090-4113

4090-4113

16-8-19



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

9.1.21

वकील उपा/प्रतिवादी नं. 1, 2 के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक फर्दीप कार्रवाई की जाती है/प्रतिवादी नं. 2 से 24 का पुनः लाक्षणिक पेश हो। तलवीप जवाब वास्तु दि 9.3.21 को पेश हो।



9.3.21

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगित रखा गया है। गतानुसार दिनांक.../9.4.21..... को पेश हो।



9.7.21

लाकडाउन के कारण पत्रावली जनरल पेशी से पेश हुई। वकील उपा पक्ष उपस्थित। वकील ने दावा आगे नहीं चलाने का कथन करते हुए नोट प्रेस कर दावा खारिज करने का पुनः कथन किया। वकील द्वारा नोट प्रेस किये जाने के कारण यह दावा नोट प्रेस में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली फ्लैल शुगर टोडर नम्बर से उम टोडर दारिजल दफ्तर हो।



(दुर्गा प्रसाद मीना)
अधिकांश अधिकारी टोडाभीम
जिला-करीली

Notpress



डेवेड कुमार शर्मा

12/07/2021